

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर**

क्रमांक:- प.1(ग)( )का / एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ 17/13538

दिनांक:- 19/5/17

—: आदेश :—

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं सफाई कर्मचारी संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:—

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्रीमती सन्जु पत्नि श्री जगदीश	सफाई कर्मचारी	रायसिंहनगर	श्रीगंगानगर
2	श्रीमती ज्योति पत्नि श्री निवास	सफाई कर्मचारी	श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर

नोट:—

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
- यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
- कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(पवन अरोडा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)( )का / एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ 17/13539 - 13557

दिनांक:- 19/5/17

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।

2. उप निदेशक (क्षौ) स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।

3. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, श्रीगंगानगर/रायसिंहनगर।

4. श्री..... पद..... नगर पालिका.....।

5. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)  
अतिरिक्त निदेशक